

प्रेस नोट जनपद बागपत थाना बड़ौत

दिनाँक 16.04.2025

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 123/25 धारा 140(2)/318(4)/338/ 336(3)/340(2) बीएनएस में वाँछित 25 हजार के ईनामिया एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से फिरौती के 3,00,000 रूपये, 04 मोबाईल फोन, पीड़ित नूर मौहम्मद की कम्पनी के खाते की बैलेंस सीट के कागजात बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक को 01.03.2025 थाना बड़ौत पर वादी श्री बिलाल पुत्र गुलजार निवासी पट्टी चौधरान करुबा बडौत थाना जनपद बागपत ने



कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी के भाई नूर मौहम्मद व उसके दोस्त शावेज का अपहरण कर मोबाइल से कॉल करके 02 करोड़ रुपये फिरौती की मांग की गयी तथा फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी दी गयी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 123/25 धारा 140(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पलिस द्वारा थाने के म0अ0सं0 123/25

140(2)/318(4)/338/ 336(3)/340(2) बीएनएस में वाँछित 25,000 रूपये के ईनामिया एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से फिरौती के 3,00,000 रूपये, 04 मोबाईल फोन, पीडित नूर मौहम्मद की कम्पनी के खाते की बैलेंस सीट के कागजात बरामद हुए हैं।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदंगी के सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- थाना बड़ौत पुलिस द्वारा दिनांक 02.03.2025 को अभियुक्तों 1.शिवम पुत्र सुधीर निवासी ग्राम लिलोनखेड़ी थाना व जनपद शामली, 2-रजत पुत्र जितेन्द्र निवासी ग्राम गोगढ पिण्डौरा थाना झिंझाना जनपद शामली, 3-प्रद्युम पुत्र संजीव निवासी ग्राम बिटावदा थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर, 4-विजय पुत्र रिवन्द्र निवासी ग्राम बरवाला थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

बरामदगी का विवरण-

- 3,00,000 रूपये नगद।
- 04 मोबाईल फोन ।
- पीडित नूर मौहम्मद की कम्पनी के खाते की बैलेंस सीट के कागजात।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

बिजेन्द्र मलिक पुत्र रणधीर निवासी झाल थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 श्री सागर सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3-उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 4-उ0नि0 श्री बिरजू शर्मा थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 5-है0का0 22 अमित नागर थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 6-का0 1070 नरेश कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपता
- 7-का0 545 मनीष कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।



दिनाँक 16.04.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 180/2025 धारा 126(2)/352/109/351(2)/324(4) बी0एन0एस0 में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.04.2025 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी गौरव शर्मा पुत्र योगेश शर्मा निवासी निकट सिसाना रोड के0डी0आर0 पब्लिक स्कूल थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1- सजन पुत्र कृष्ण, 2- विक्की पुत्र



नवाब, 3- रूपन पुत्र दिनेश, 4- अक्षय पुत्र भरत निवासीगण ग्राम निरोजपुर गुर्जर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा उसकी गाडी संख्या UP-17BT-3956 रोकी तथा अपने हाथों में लिए अवैध हथियारों से उसके साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की व जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर फायरिंग की व जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 180/25 धारा 126(2)/352/109/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

उक्त अभियोग में साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 324(4) बीएनएस की बढ़ौत्तरी की गयी है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 180/2025 धारा 126(2)/352/109/351(2)/324(4) बी0एन0एस0 में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

वर्ष उर्फ रूपन पुत्र दिनेश कुमार निवासी ग्राम बाघू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकास चौहान थाना बागपत जनपद बागपत।
- 2-है0का0 611 देवेन्द्र कुमार थाना बागपत जनपद बागपत।
- 3-है0का0 12 धीरज कुमार थाना बागपत जनपद बागपत।



दिनाँक 16.04.2025

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 117/25 धारा 87/64 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0



117/25 धारा 87/64 बीएनएस में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पता-

जुबेर पुत्र अब्दुल सलाम निवासी ग्राम मुबारिकपुर थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री संजय सिंह पौनिया थाना खकेडा जनपद बागपत।

2-का0 213 दीपक कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

3-का0 789 योगेन्द्र कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।



दिनाँक - 16.04.2025

थाना रमाला पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी का नाम व पता-

1-शौकीन पुत्र भौरा निवासी ग्राम व थाना रमाला जनपद बागपत। 2-सतेन्द्र पुत्र राजदेव निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री पुष्पराज विश्नोई

थाना रमाला जनपद बागपत।

- 2-है0का0 164 विकास थाना रमाला जनपद बागपत।
- 3-है0का0 549 ओमप्रकाश थाना रमाला जनपद बागपत।
- 4-का0 913 शंकरलाल थाना रमाला जनपद बागपत ।







दिनाँक 16.04.2025

थाना बालैनी पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का नाम व पता-

पवन पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम डौलचा थाना बालैनी जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अनिल शर्मा थाना बालैनी जनपद बागपत।

2-है0का0 373 राजिकशोर थाना बालैनी जनपद बागपत।